

न्यायालय :- ठाकुर प्रसाद मालवीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला खण्डवा (म.प्र.)
 क्रमांक / क्ष. / प्र.फौ. / 186 / 2026
 खण्डवा, दिनांक- 22-04-2026

—:: आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक ::—

मैं, ठाकुर प्रसाद मालवीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, (म.प्र.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 14(1) एवं 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, आपराधिक कार्यों के विभाजन संबंधी पूर्व में प्रसारित आदेशों को अधिभावी रूप से अधिष्ठित करते हुए, खण्डवा जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य आपराधिक प्रकरणों एवं अनुशांगिक कार्य के निष्पादन के संबंध में निम्नांकित क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित करते हुए, निम्नानुसार नवीन कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करता हूँ, जो कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, खण्डवा के अनुमोदन पश्चात तत्काल **प्रभावशील** माना जावेगा।

स. कं.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	क्षेत्राधिकार	कार्य का विवरण
1	2	3	4
1.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला खण्डवा, म.प्र.।	जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा	1. आर्थिक अपराधों से संबंधित ऐसे प्रकरण जिसमें विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल दिनांक 26-04-2011 की अधिसूचना क्र० फा. 1-8-8त्र79-इक्कीस-ब (एक) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का संख्यांक 2) की धारा 11 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश से परामर्श के पश्चात एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र० फा. 1-8-79-इक्कीस-ब (1) दिनांक 28 जून 2007 के अनुसार निम्न लिखित अधिनियम के अंतर्गत विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डवा द्वारा विचारण हेतु अधिकृत किया गया है :- 1-केन्द्रीय एक्साइज एक्ट, 1944 2-विदेशी व्यापार अधिनियम, 1992 , 3-कंपनी अधिनियम, 1956 4-वैल्य टैक्स अधिनियम, 1957, 5-गिफ्ट टैक्स अधिनियम, 1958 , 6-इन्कम टैक्स एक्ट, 1961 , 7-कस्टम टैक्स एक्ट, 1962,

			8-एक्सपोर्ट एक्ट, 1963, 9-कंपनी प्रॉफिट सरटेक्स एक्ट 10- मोनोपॉली व रिस्ट्रेक्टिव एक्ट, 1999 2. ग्राम न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय प्रकरणों तथा परिवाद प्रकरण, धारा 175 (3) भा.ना. सु.सं./धारा 156(3) द.प्र.सं. के आवेदन पत्र तथा धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर): क-आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, खण्डवा की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ ग-आरक्षी केन्द्र पदमनगर की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ घ-आरक्षी केन्द्र यातायात के सीमा क्षेत्र के समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ 3. म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आबकारी विभाग (संपूर्ण आबकारी वृत्त खंडवा) द्वारा प्रस्तुत समस्त परिवाद (हरसूद व पुनासा को छोड़कर) एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम 34(2) के अंतर्गत संपूर्ण खंडवा जिले के सभी आरक्षी केन्द्र (34(1) आबकारी अधिनियम को छोड़कर) (आरक्षी केन्द्र हरसूद, खालवा, किल्लौद नर्मदानगर, मुंदी, मांधाता, को छोड़कर) द्वारा प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र। 4. वनविधि, खनन विधि, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, के (आरक्षी केन्द्र हरसूद, खालवा, किल्लौद नर्मदानगर, मुंदी, मांधाता, को छोड़कर) संपूर्ण खण्डवा जिले में प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र 5. खंडवा जिले के ऐसे आपराधिक मामले एवं कार्यवाहियाँ जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हो तथा जिसका उल्लेख इस कार्य
--	--	--	---

विभाजन पत्रक में अन्यथा नहीं है।

6. माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय, द्वारा समय-समय पर अंतरित कार्यवाहियों।

7. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 450/दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 410 के अंतर्गत आवेदन पत्र।

8. खंडवा जिले के समस्त :

1-म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958,

2-म.प्र. बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1959,

3-म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961

4-खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम

5-कारखाना अधिनियम 1948 से उद्भूत प्रकरण एवं आपराधिक कार्यवाहियों।

9. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) एवं राज्य के श्रम निरीक्षकों/प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत श्रम अधिनियम के आपराधिक प्रकरण।

10. PC & PNDT Act से उद्भूत प्रकरण/परिवाद एवं आपराधिक कार्यवाहिया।

11. खण्डवा क्षेत्र के मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम 2017 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां।

12. संपूर्ण खंडवा जिले में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 से उद्भूत प्रकरण (धारा 14 सरफेसी एक्ट)कार्यवाही/आवेदन पत्र का निराकरण।

13. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक बी/6630/111-6-6/ 18 जबलपुर दिनांक 13.09.2023 के आलोक में भीड़ द्वारा की गई हिंसा एवं हत्या (Lynching & mob Violence) से संबंधित आपराधिक प्रकरण (आरक्षी केंद्र हरसूद, खालवा, किल्लौद, नर्मदानगर, मूंदी,

			मांघता को छोड़कर) से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण 14. खंडवा जिले के अन्य थाना क्षेत्रों से प्रस्तुत होने वाले अन्य विविध अधि. से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ, जिनके विचारण का अनन्य क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही है।
2.	श्री अरविंद सिंह, न्या.मजि.प्र.श्रेणी खंडवा	जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।	1. (मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय अंतर्गत थाना क्षेत्र:- अ. थाना सिटी कोतवाली खण्डवा के अंदर आने वाली नगर पालिका निगम की सीमा को छोड़कर (ग्राम-जसवाडी, बैडियांव, हापला, दीपला,लोहारी, लाडनपुर, जूनापानी, रूधी, नहाल्दा, कोटवाडा, भण्डारिया, टिठिया, बमनगांव टिगरियांव, बडगांवगुजर, सेगवाल, काल्याखेडी, खडकी, जामली) ब. थाना मोघट रोड खण्डवा के अंदर आने वाली नगर पालिका निगम सीमा को छोड़कर (ग्राम बोरगांवखुर्द,टिटगांव, देवलामाफी, सिरपुर, सिहाडा, पांझरिया, नागचून, बडगांव भीला, अंजटी, अहमदपुरखैगांव, बावडियाकाजी, रोशनाई, मथेला, सुरगांवनिपानी, गोलजोशी, गोकूलगांव, कोरगला, पिपल्याहार, सिलोद, बडियातुलजा, खरकली, रेहमापुर, डिगरिस, गजवाडा) स. थाना छैगांवमाखन संपूर्ण थाना क्षेत्र। द. थाना धनगांव संपूर्ण थाना क्षेत्र। ई. थाना पिपलौद संपूर्ण थाना क्षेत्र। फ. थाना जावर संपूर्ण थाना क्षेत्र। से उत्पन्न ग्राम न्यायालय अधिनियम से संबंधित आपराधिक कार्यवाहियां (जो उपर वर्णित क्रमांक 'अ' लगायत 'फ' के थाना क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले ऐसे प्रकरण), जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग-1, भाग-2, तथा भाग-3 में दर्शित है।

		2. आरक्षी केन्द्र छैगांवमाखन की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों की कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 50,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर) समस्त परिवाद तथा कार्यवाहियां। 3. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के परिवाद, धारा 175 (3) भा.ना.सु.सं./धारा 156 (3) द.प्र.सं. के आवेदन पत्र तथा धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण। 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 5. आरक्षी केन्द्र छैगांवमाखन से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही।
3 श्रीमती पल्लवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी	जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।	1. आरक्षी केन्द्र पंधाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 50,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र पंधाना के क्षेत्राधिकार के परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं./धारा 156 (3) द.प्र.सं. के आवेदन पत्र एवं धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण। 3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।

			4. आरक्षी केन्द्र पंधाना से उद्भूत 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही
4.	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी	जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।	1- आरक्षी केंद्र धनगांव की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 50,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र धनगांव के क्षेत्राधिकार के परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं./धारा 156 (3) द.प्र.सं. के आवेदन पत्र एवं धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण। 3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 4. आरक्षी केन्द्र धनगांव से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही। 5. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़ खंडवा के आदेश क्रं. 597/कम्प्यूटर/2025 खंडवा दिनांक 24.03.2025 के आदेशानुसार जिला स्थापना पर वर्चुअल कोर्ट से संबंधित आनुषांगिक कार्यवाही।
5.	श्री मोहित माधव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।	1. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिसूचना क्रं. C/2981(Railway)/III-6-3/57-IX जबलपुर, दिनांकित 23.04.2025 के अनुसार - (क) भारतीय रेल अधिनियम, 1989, (ख) रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966

		से संबंधित समस्त प्रकरण एवं आपराधिक कार्यवाहियां। 2. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरणों जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर : थाना आर.पी.एफ. एवं जी.आर.पी. खण्डवा की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां, आपराधिक परिवाद, धारा 175 (3) भा.ना.सु.सं./धारा 156 (3) द.प्र.सं. के आवेदन पत्र एवं धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से उद्भूत प्रकरणों की कार्यवाहियां/संज्ञान। 3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 4. आरक्षी केन्द्र जी.आर.पी. एवं आर.पी.एफ. से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही
6.	श्रीमती वैशाली चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.। 1.— महिला पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 50,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डवा एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां तथा भा.न्या.सं. की धारा 137(2), 88, 74, 81, 84, 85, 86, एवं 79 (भा.दं.सं. की धारा 363, 312, 354, 354-क, 493, 498, 468-ए एवं 509) अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम, सन् 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती निवारण अधिनियम 1957 एवं अन्य महिला संबंधी अपरोध से संबंधित अभियोग पत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए

			जा सकते हैं, की कार्यवाहियां, समस्त प्रसिवाद एवं कार्यवाहियां। 2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के आपराधिक परिवाद, धारा 175 (3) भा.ना.सु.सं./धारा 156(3) द.प्र. सं. के आवेदन पत्र एवं धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण 3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 4. महिला पुलिस थाना से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही 5. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 19/एक-10-1/1996, दिनांक 18.04.2026 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित विचारण योग्य सभी प्रकरणों की सुनवाई।
7.	श्रीमती रचना अतुलकर, जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।	1. आरक्षी केंद्र मोघट रोड़ की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 50,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां। 2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के परिवाद, धारा 175 (3) भा.ना.सु.सं./धारा 156 (3) द.प्र.सं. के आवेदन पत्र एवं धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण।

			3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 4. उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही।
8.	सुश्री नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।	1. आरक्षी केंद्र पिपलौद की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 50,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां। 2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के परिवाद, धारा 175 (3) भा.ना.सु.सं./धारा 156 (3) द.प्र.सं. के आवेदन पत्र एवं धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण। 3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 4. आरक्षी केन्द्र पिपलौद से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही
9.	श्री भरत दीप चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।	1. आरक्षी केंद्र जावर की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 50,000/-रूपये से अधिक हो, को छोड़कर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां।

			2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के परिवाद, धारा 175 (3) भा.ना.सु.सं./धारा 156 (3) द.प्र.सं. के आवेदन पत्र एवं धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण। 3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 4. आरक्षी केन्द्र जावर से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही
10.	सुश्री अपेक्षा पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र पदमनगर के क्षेत्राधिकार के परिवाद, धारा 175 (3) भा.ना.सु.सं./धारा 156 (3) द.प्र.सं. के आवेदन पत्र एवं धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण। 3. आरक्षी केन्द्र पदमनगर से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही
11.	श्री सुयश परनाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 2. आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली के क्षेत्राधिकार के परिवाद, धारा 175 (3) भा.ना.सु.सं./धारा 156 (3) द.प्र.सं. के आवेदन पत्र एवं धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण। 3. आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही

12	श्री राकेश भिडे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद	जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।	1.आरक्षी केन्द्र हरसूद की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 50,000/-रूपये से अधिक हो, को छोड़कर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां एवं धारा 138-परकाम्य लिखत अधिनियम, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं./धारा 156 (3) द.प्र.सं. के आवेदन पत्र एवं विविध अधिनियम से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144/दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 125, दं.प्र.स. एवं उससे उद्भूत अनुषांगिक कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र हरसूद, किल्लौद एवं खालवा के वन विधि, खनन विधि एवं वन्यजीवों से संबंधित प्रकरणों की कार्यवाहियां। 3. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित आपराधिक परिवाद एवं आबकारी विभाग के परिवाद की कार्यवाहियां। 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 5. आरक्षी केन्द्र हरसूद, से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही। 6. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक बी/6630/।।।-6-6/ 18 जबलपुर दिनांक 13.09.2023 के आलोक में आरक्षी केंद्र हरसूद, खालवा, किल्लौद से उद्भूत भीड़ द्वारा की गई हिंसा एवं हत्या (Lynching & mob Violence) से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण।
----	---	---	---

13-	श्री सत्यम देवलिया, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, हरसूद	जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।	1. आरक्षी केन्द्र खालवा की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 50,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां एवं धारा 138-परकाम्य लिखत अधिनियम, धारा 175 (3) भा.ना.सु.सं./धारा 156 (3) द.प्र.सं. के आवेदन पत्र एवं विविध अधिनियम से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144/दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 125, द.प्र.स. एवं उससे उद्भूत आनुषांगिक कार्यवाहियां। 2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित आपराधिक परिवाद की कार्यवाहियां। 3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 4. आरक्षी केन्द्र खालवा, से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही।
14-	सुश्री द्रुतिका, न्या. मजि.प्र.श्रेणी, हरसूद	जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।	1. आरक्षी केन्द्र किल्लौद की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 50,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां एवं धारा 138-परकाम्य लिखत अधिनियम, धारा 175 (3) भा.ना.सु.सं./ धारा 156 (3) द.प्र.सं. के आवेदन पत्र एवं विविध अधिनियम से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144/दंड

		प्रक्रिया संहिता, धारा 125, द.प्र.स. एवं उससे उद्भूत अनुषांगिक कार्यवाहियाँ। 2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित आपराधिक परिवाद की कार्यवाहियाँ। 3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 4. आरक्षी केन्द्र किल्लौद, से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही। 5. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 19/एक-10-1/1996, दिनांक 18.04.2026 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों, घरेलू हिंसा, से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम।
15.	श्री मेहताब सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पुनासा जिला खंडवा, म.प्र.।	तहसील पुनासा, जिला खण्डवा म. प्र.। 1. क-आरक्षी केन्द्र नर्मदानगर ख-आरक्षी केन्द्र मूंदी की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियाँ (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 50,000/-रुपये से अधिक हो को छोड़कर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियाँ। 2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित आपराधिक परिवाद, धारा 175 (3) भा.ना.सु.सं./धारा 156 (3) द.प्र. सं. के आवेदन पत्र एवं आबकारी विभाग के परिवाद की कार्यवाहियाँ। 3. आरक्षी केन्द्र नर्मदानगर एवं मूंदी के क्षेत्राधिकार में व्युत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण (वन विधि, खनन

		विधि एवं वन्य जीवों से संबंधित प्रकरणों को सम्मिलित करते हुए), धारा 138 परकाम्य लिखत के नियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण। 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 5. आरक्षी केन्द्र नर्मदानगर एवं आरक्षी केन्द्र मूंदी से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही 6. माननीय "मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक बी/6630/111-6-6/ 18 जबलपुर दिनांक 13.09.2023 के आलोक में आरक्षी केन्द्र नर्मदानगर एवं मूंदी से उद्भूत भीड़ द्वारा की गई हिंसा एवं हत्या (Lynching & mob Violence) से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण। 7. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 19/एक-10-1/1996, दिनांक 18.04.2026 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित विचारण योग्य सभी प्रकरणों की सुनवाई।
16.	श्री मेहताब सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रृंखला न्यायालय मांघाता(ओंकारेश्वर) जिला खण्डवा म.प्र. ।	श्रृंखला न्यायालय मांघाता(ओंकारेश्वर)। 1. आरक्षी केन्द्र मांघाता (श्रृंखला न्यायालय ओंकारेश्वर) की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्यवाहियां (मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 50,000/-रूपये से अधिक हो को छोड़कर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां। 2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित आपराधिक परिवाद, धारा 175 (3) भा.ना.सु.सं./धारा 156 (3) द.प्र. सं. के आवेदन पत्र एवं आबकारी विभाग के परिवाद की कार्यवाहियां।

	3. आरक्षी केन्द्र मांघाता के क्षेत्राधिकार में व्युत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण (वन विधि, खनन विधि एवं वन्य जीवों से संबंधित प्रकरणों को सम्मिलित करते हुए), धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण। 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 5. उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही। 6. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक बी/6630/111-6-6/ 18 जबलपुर दिनांक 13.09.2023 के आलोक में आरक्षी केंद्र मांघाता (ओंकारेश्वर) से उद्भूत भीड़ द्वारा की गई हिंसा एवं हत्या (Lynching & mob Violence) से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण। 7. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 19/एक-10-1/1996, दिनांक 18.04.2026 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित विचारण योग्य सभी प्रकरणों की सुनवाई।
--	--

आवश्यक टीप:-

- 1- जिला पूर्व निमाड खण्डवा में माननीय अतिथियों के प्रोटोकॉल की व्यवस्था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशन पर श्री मेहताब सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुनासा, श्री अरविंद सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला खंडवा, श्री मोहित माधव स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला खंडवा के द्वारा देखी जा सकेगी।
- 2- तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट/पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट या समर्पण आवेदन पत्र उन न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट

को वर्तमान में आरक्षी केंद्र आबंटित किया गया है। यदि जारी स्थानीय गिरफ्तारी वारंट से संबंधित आरक्षी केंद्र की स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है या पुलिस अधीक्षक या अन्य माध्यम से तामीली हेतु भेजा गया है, तो ऐसी दशा में भादवि/बी.एन.एस. या अन्य अधिनियम से संबंधित जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट में जिला मुख्यालय खंडवा में कार्यवाही श्री सुयश परनाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा तथा धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित जारी वारंट में कार्यवाही सुश्री नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा संपादित की जावेगी तथा तहसील न्यायालय हरसूद में सुश्री द्रुतिका उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद एवं तहसील न्यायालय पुनासा/मांघाता में श्री मेहताब सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पुनासा द्वारा संपादित की जावेगी। यदि पीठासीन अधिकारी की व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड से वरिष्ठ खंड में पदोन्नति हुई है और वर्तमान में वह उसी स्थापना पर पदस्थ है, तब उनके न्यायालय से संबंधित निष्पादन योग्य कार्यवाहियां/विविध कार्यवाहियां वर्तमान में जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट को थाना आबंटित किया गया है उसी के द्वारा संपादित की जावेगी।

3-

तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट/पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय से ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड, रिमांड प्रकरण या आदेश जो पूर्व पीठासीन अधिकारी के न्यायालय से संबंधित हैं उनमें माननीय अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाहियां तथा उन प्रकरणों में राशि की वसूली, प्रतिकर की राशि प्रदान करने, जमानत राशि प्रदान करने, जमानत निरस्त करने संबंधी समस्त कार्यवाहियां उस मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित की जाएगी वर्तमान में जिस न्यायिक अधिकारी को थाना आबंटित किया गया है, या जिससे संबंधित वह अभिलेख/प्रकरण है। यदि पीठासीन अधिकारी की व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड से वरिष्ठ खंड में पदोन्नत हुई और वर्तमान में वह उसी स्थापना पर पदस्थ है, तब निष्पादन योग्य कार्यवाही उसी न्यायालय/न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी।

4-

तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट/पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा अपील, पुनरीक्षण या रिवीजन आदेश के परिपालन में निष्पादन योग्य कार्यवाही, जमानत निरस्त करने संबंधी कार्यवाही जिसमें आरक्षी केंद्र स्पष्ट नहीं हो रहा हो के संबंध में जिला न्यायिक स्थापना खंडवा में श्री मोहित माधव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा एवं तहसील हरसूद न्यायालय में श्री सत्यम देवलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं तहसील पुनासा तथा श्रृंखला न्यायालय मांघाता (ओंकारेश्वर) न्यायालय में श्री मेहताब सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुनासा/मांघाता (ओंकारेश्वर) के द्वारा

संपादित की जावेगी।

- 5— जिन अधिनियमों से संबंधित आपराधिक प्रकरणों की प्रस्तुति एवं विचारण की व्यवस्था का उल्लेख पूर्व में नहीं हुआ है, तब उन अधिनियमों के अंतर्गत अभियोग पत्र (अंतिम प्रतिवेदन) संबंधित विभाग के द्वारा जहां क्षेत्राधिकार से संबंधित विवाद हो, ऐसे प्रकरण/परिवाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किए जावेंगे।
- 6— पूर्व पीठासीन अधिकारी/रिक्त न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों में सजा पश्चात प्राप्त सजा वारंट संबंधित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा यदि प्राप्त सजा वारंट पर आरक्षी केंद्र उल्लेखित नहीं है तब ऐसी दशा में विधिवत निराकरण **श्री मोहित माधव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा** के न्यायालय द्वारा तथा तहसील हरसूद में **सुश्री द्रुतिका उपाध्याय, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, हरसूद** के द्वारा तथा तहसील न्यायालय पुनासा/मांधाता में **श्री मेहताब सिंह बघेल, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, पुनासा** द्वारा किया जावेगा।
- 7— पेमेंट एवं सेटलमेंट सिस्टम एक्ट से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण जिस आरक्षी केंद्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होते हैं उसी तरह पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट संबंधित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में प्रस्तुत किए जावेंगे।
- 8— **किसी थाने के अपराध कमांक का पूरक (सप्लीमेंट्री) चालान, उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा जिस न्यायालय के समक्ष वह प्रकरण लंबित/निराकृत किया गया है** यदि उक्त न्यायालय वर्तमान में रिक्त है, तब ऐसी दशा में जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट को वर्तमान में संबंधित आरक्षी केंद्र आबंटित किया गया है उनके समक्ष प्रस्तुत किए जावेंगे तथा यदि उक्त प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होकर माननीय सत्र न्यायालय खंडवा की ओर उपार्पित (commit) किया जाकर भेजा जा चुका है तब ऐसी दशा में उपार्पित वाले न्यायालय के समक्ष एवं अन्य दशा में वर्तमान में जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट को संबंधित आरक्षी केंद्र आबंटित किया गया है, उनके समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- 9— ट्रांजिट वारंट हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने पर (अभियुक्त को जिस क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है) ट्रांजिट रिमांड की कार्यवाही उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जावेगी वर्तमान में जिस मजिस्ट्रेट को आरक्षी केंद्र आबंटित किया गया है।

- 10- ग्राम न्यायाधिकारी खंडवा का पद रिक्त होने से ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों में जारी जमानती/गिरफ्तारी/स्थायी गिरफ्तारी वारंट या समर्पण आवेदन अथवा आवश्यक प्रकृति के आवेदन पत्र श्री अरविंद सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा के समक्ष प्रस्तुत किए जावेंगे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ग्राम न्यायाधिकारी के रूप में पीठासीन अधिकारी का नाम अधिसूचित होने पर अधिसूचित पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जावेंगे।
- 11- संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम प्रतिवेदन (Final Report) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जावेंगे, परंतु पूर्व निमाड़ खण्डवा जिले के समस्त थाना क्षेत्र के प्रकरण समाप्ति रिपोर्ट (Expunge Report) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होगी।
- 12- वर्चुअल कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने वाले मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में यदि अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार नहीं किया जाता है तो उक्त प्रकरण का विचारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन या आदेश इस कार्य विभाजन पत्रक से प्रभावित नहीं होगा।
- 13- न्यायिक अभिरक्षा अथवा पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त/बंदी की मृत्यु होने की दशा में धारा 176 दंड प्रक्रिया संहिता/धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत जांच निम्नांकित मजिस्ट्रेट द्वारा संपन्न की जावेगी-

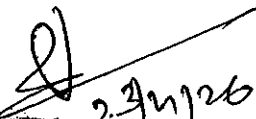
कं.	न्यायिक अधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती पल्लवी, न्या.म.प्र.श्रेणी खण्डवा	मई एवं जून
2.	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्या.म.प्र.श्रेणी खण्डवा	जुलाई
3.	श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, न्या.म.प्र.श्रेणी खण्डवा	अगस्त
4.	सुश्री नेहा प्रजापति, न्या.म.प्र.श्रेणी खण्डवा	सितम्बर
5.	श्री भरतदीप चौरसिया, न्या.म.प्र.श्रेणी खण्डवा	अक्टूबर
6.	सुश्री अपेक्षा पाटीदार, न्या.म.प्र.श्रेणी खण्डवा	नवम्बर
7.	श्री सुयश परनाम, न्या.म.प्र.श्रेणी खण्डवा	दिसम्बर

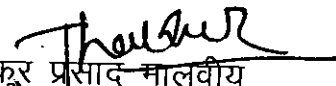
- 14- न्यायिक अधिकारी जो कि माह में न्यायिक जांच हेतु अधिकृत है, वे यदि मुख्यालय से बाहर हैं/अवकाश पर हैं/प्रशिक्षण पर हैं/न्यायालय रिक्त है, तो

उक्त माह में न्यायिक जांच हेतु अनुसूची कं.-1 के अनुसार न्यायिक जांच हेतु प्रभार रहेगा। 176 दंड प्रक्रिया संहिता/धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत मृत बंदियों की न्यायिक जांच से संबंधित अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट विधिवत् कार्यवाही अविलंब संपादित कर प्रतिवेदन यथादेशानुसार प्रस्तुत करेंगे।

- 15- प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, खण्डवा तथा सदस्यों की अनुपस्थिति/अवकाश पर रहने की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा को छोड़कर किशोर न्याय बोर्ड खण्डवा के समस्त कार्य न्यायिक स्थापना पर उपस्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा संपादित किये जावेंगे।
- 16- यदि किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण/प्रमोशन आदि हो जाता है तो उनके स्थान पर आने वाले पद उत्तरवर्ती पीठासीन अधिकारी का नाम उक्त आदेश में पढ़ा जाये।
- 17- अनुसूची क्रमांक '1', अनुसूची क्रमांक '2' एवं अनुसूची क्रमांक-3 कार्य विभाजन पत्रक का अभिन्न अंग रहेगा।
- 18- इस कार्य विभाजन पत्रक से किसी अधिनियम, नियम, अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
- 19- इस कार्य विभाजन पत्रक का पूर्व से लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुमोदन।


 24/12/26
 प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 एवं निवाड, खण्डवा (म.प्र.)


 ठाकुर प्रसाद मालवीय
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 जिला खण्डवा (म.प्र.)

न्यायालय :-ठाकुर प्रसाद मालवीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला खण्डवा (म.प्र.)

—:अनुसूची क्रमांक "1":—

जिला न्यायालय पूर्व निमाड़, खण्डवा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर अनुसूची में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट सूची के अनुसार अति आवश्यक न्यायालयीन कार्य संपादित करेंगे, अति आवश्यक में ऐसे समस्त मामले भी शामिल हैं, जिसमें संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा अपराध की स्वीकृति होना हो तथा प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के दांडिक प्रकरणों का संज्ञान लिए जाने का कार्य शामिल हो। अति आवश्यक कार्य में वे प्रकरण शामिल नहीं होंगे, जो पहले से ही किसी न्यायालय में लंबित हो। **अनुसूची क्रमांक "01" में उल्लेखित किसी भी वर्ग के प्रभारी न्यायालय का पद कम समाप्त होने पर अगले सरल क्र. पर वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य किया जावेगा।**

क्रं.	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
1.	ठाकुर प्रसाद मालवीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा	श्री अरविंद सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती पल्लवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
2.	श्री अरविंद सिंह, न्या. मजि.प्र.श्रेणी खण्डवा	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री मोहित माधव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री अपेक्षा पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
3.	श्रीमती पल्लवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा	श्री सुयश परनाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री अपेक्षा पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
4.	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा	सुश्री नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	श्री भरतदीप, चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	श्रीमती वैशाली चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट	श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम

[illegible]

12.	श्री मेहताब सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील पुनासा के अवकाश, प्रशिक्षण पर रहने अथवा श्रंखला न्यायालय मांघाता (ओंकारेश्वर) में कार्यरत होने की दशा में	श्रीमती पल्लवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री भरत दीप चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री सुयश परनाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
13.	श्री राकेश भिडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री सत्यम देवलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री दुतिका उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री सुयश पर्णम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
14.	श्री सत्यम देवलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री दुतिका उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री राकेश भिडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री सुयश पर्णम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री भरत दीप चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
15.	सुश्री दुतिका उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री सत्यम देवलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री राकेश भिडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री नेहा, प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री अपेक्षा पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

आवश्यक टीप :-

- विशिष्ट रेल्वे मजिस्ट्रेट अपने भ्रमण कार्यक्रम (चलित न्यायालय) की पूर्व सूचना माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, खंडवा को देंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण उन्हीं तिथियों पर नियत किये जायेंगे, जिसमें वे मुख्यालय पर उपलब्ध रहें तथा प्रत्येक सप्ताह में दो दिन बुधवार एवं गुरुवार को मुख्यालय पर उपस्थित होकर नियमित न्यायालयीन कार्य सम्पादित करेंगे।
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खंडवा द्वारा माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय, खंडवा को सूचित कर पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0) में चलित न्यायालय लगाई जा सकेगी तथा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपने विचारण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चलित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से

पूर्व अनुमति प्राप्त कर लगाई जा सकेगी।

3. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने और उनके स्थान पर अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पदस्थापना न होने के कारण रिक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित थाने से उत्पन्न समस्त नवीन आपराधिक प्रकरण एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण अन्य आदेश होने तक उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा जिनके द्वारा संबंधित अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में उनका कार्य सम्पादित किया जाता था।

4. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर जाने की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले ऐसे संक्षिप्त विचारण के प्रकरण जिनमें अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किया जाता है और सुपुर्दनामा आवेदन पत्र (जिसमें ग्राम न्यायालय से संबंधित अर्जेंट प्रकृति के आवेदन पत्र भी शामिल हैं) संबंधित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश होंगे और उसी न्यायालय के नाम से पंजीबद्ध किये जायेंगे। सुपुर्दगी आवेदन निराकृत उपरांत परिणाम दर्ज कर पत्रावली संबंधित न्यायालय में मूल प्रकरण में संलग्नार्थ भेजी जाएगी।

अनुमोदन।

५


ठाकुर प्रसाद मालवीय
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खंडवा (म.प्र.)

न्यायालय :-ठाकुर प्रसाद मालवीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला खण्डवा (म.प्र.)

—:अनुसूची क्रमांक "2":—

// धारा 183 भा.ना.सु.सं./164 द.प्र.सं. के कथन हेतु प्रभार //

1. महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित भा.न्या.सं. 2023 की धारा 88, 89, 90, 91, 74,75 ,76, 77,78 ,87, 96, 141, 63 ,64, 65 (ए), 65 (2), 67,,68,70 (1),84, 85 एवं 79 (भा.द.सं. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354-क, 366, 366-बी, 366-ए 376-ए से 376-डी, 493, 498, 468-ए एवं 509) अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम, सन् 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती निवारण अधिनियम 1957, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), धारा 363 भा.द.सं./धारा 137 (2) भा.न्या.सं. में यदि पीड़ित महिला/बालिका है एवं अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं उनमें धारा 183 भा.ना.सु.सं./164 द.प्र.सं. के कथन अंकित किए जाने हेतु निम्नांकित महिला न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से, दर्शित आरक्षी केंद्र के अनुसार कथन लिए जाने हेतु कार्यभार सौंपा जाता है:-

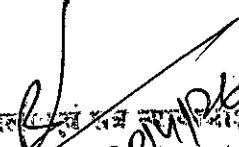
क्रं.	आरक्षी केंद्र	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार
1.	कोतवाली, मोघट, पिपलौद, एवं अजाक	श्रीमती पल्लवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री अपेक्षा पाटीदार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
2.	महिला थाना, पंधाना एवं पदमनगर	श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री अपेक्षा पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती पल्लवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
3.	मूंदी, नर्मदानगर एवं मांधाता	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती पल्लवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती वैशाली चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री अपेक्षा पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

4.	जावर, जी.आर. पी. एवं धनगांव	सुश्री अपेक्षा पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती ज्योति सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती पल्लवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
5.	जावर, धनगांव एवं छैगांवमाखन	सुश्री नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती रचना अतुलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती ज्योति सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

नोट— उक्त न्यायिक अधिकारी जो कि धारा 183 भा.ना.सु.सं./164 दं.प्र.सं. के कथन हेतु अधिकृत हैं, वे यदि मुख्यालय से बाहर हैं/प्रशिक्षण पर हैं/अवकाश/न्यायालय रिक्त है या अन्य किसी कारणवश से कथन लेने में असमर्थ हैं तो उनकी अनुपस्थिति में कथन अनुसूची-कं. 02-अ के अनुसार अगले सरल कं. पर वर्णित/उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किए जावेंगे।

अनुमोदन।


(ठाकुर प्रसाद मालवीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खंडवा (म.प्र.)


प्रधान जिला न्यायाधीश
(पूर्व निवृत्त, खंडवा (म.प्र.))

न्यायालय :- ठाकुर प्रसाद मालवीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला खण्डवा (म.प्र.)

—:अनुसूची क्रमांक "3":—

01:- (महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित मामलों को छोड़कर एवं अन्य प्रकृति के अपराध) शेष अपराधों के संबंध में धारा 183 भा.ना.सु.सं./164 द.प्र.सं. के कथन अंकित किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है:-

क्रं.	आरक्षी केंद्र	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार
1.	कोतवाली, मोघट रोड़ एवं अजाक	श्रीमती पल्लवी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री सुयश परनाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री अपेक्षा पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
2.	पिपलौद एवं धनगांव	श्री अरविंद सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री मोहित माधव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री सुयश परनाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
3.	छैगांवमाखन एवं पंधाना	श्री भरत दीप चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री सुयश परनाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
4.	जी.आर.पी, पदमनगर एवं महिला थाना	श्री सुयश परनाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री अरविंद सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती पल्लवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
5.	जावर एवं धनगांव	सुश्री नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री अपेक्षा पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री सुयश परनाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट

					प्रथम श्रेणी
6.	नर्मदानगर, मूंदी एवं मांधाता	सुश्री अपेक्षा पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री सुयश परनाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

02:- तहसील न्यायालय हरसूद में (महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित मामलों को छोड़कर तथा ऐसे प्रकरण जिनका विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जावेगा) उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों किल्लौद, हरसूद एवं खालवा के सम्मुख दर्शित न्यायिक अधिकारी द्वारा धारा 183 भा.ना.सु.सं./164 द.प्र.सं. के कथनों को लेखबद्ध किये जाने हेतु क्रमानुसार प्रभारी रहेंगे।

कं.	आरक्षी केंद्र	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार
1.	हरसूद	श्री सत्यम देवलिया, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. हरसूद	सुश्री द्रुतिका उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री सुयश परनाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
2	खालवा	श्री राकेश भिड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री सत्यम देवलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री अपेक्षा पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री भरत दीप चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
3.	किल्लौद	सुश्री द्रुतिका उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री राकेश भिड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

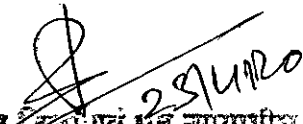
कमांक 3 :- तहसील न्यायालय हरसूद में महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के पदस्थ नहीं होने से महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित भा.न्या.सं. 2023 की धारा 88, 89, 90, 91, 74, 75, 76, 77, 78, 87, 96, 141, 63, 64, 65 (ए), 65 (2), 67, 68, 70 (1), 84, 85 एवं 79 (भा.दं.सं. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354-क, 366, 366-बी, 366-ए 376-ए से 376-डी, 493, 498, 468-ए एवं 509) अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम, सन् 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं

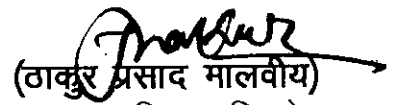
का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती निवारण अधिनियम 1957, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), धारा 363 भादवि/धारा 137(2) भा.न्या.सं. में यदि पीड़ित महिला/बालिका है एवं अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं उनमें धारा 183 भा.ना.सु.सं./164 द.प्र.सं. के कथन अंकित किए जाने हेतु निम्नांकित महिला न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से, दर्शित आरक्षी केंद्र के अनुसार कथन लिए जाने हेतु कार्यभार सौंपा जाता है:-

कं.	आरक्षी केंद्र	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार
1.	हरसूद	श्री राकेश भिड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री सत्यम देवलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती पल्लवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री अपेक्षा पाटीदार अतुलकर जोशी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा।
2	खालवा	श्री सत्यम देवलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री राकेश भिड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री नेहा प्रजापति, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा।
3.	किल्लौद	श्री सत्यम देवलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री राकेश भिड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री नेहा प्रजापति, श्री राकेश भिड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

नोट- उक्त न्यायिक अधिकारी जो कि धारा 183 भा.ना.सु.सं./164 दं.प्र.सं. के कथन हेतु अधिकृत हैं, वे यदि मुख्यालय से बाहर हैं/प्रशिक्षण पर हैं/अवकाश/न्यायालय रिक्त है या अन्य किसी कारणवश से कथन लेने में असमर्थ हैं तो उनकी अनुपस्थिति में कथन अनुसूची-कं. 02-ब के अनुसार अगले सरल कं. पर वर्णित/उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किए जाएंगे।

अनुमोदन।


प्रधान न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश
पर्व निवाड़, खंडवा (म.प्र.)


(ठाकुर प्रसाद मालवीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खंडवा (म.प्र.)

पुष्पांकन क्र. 193 / 2026

खंडवा, दिनांक-23.04.2026

प्रतिलिपि-

- 1- कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय खंडवा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- माननीय विशेष न्यायालय, प्रथम/द्वितीय/तृतीय जिला न्यायाधीश महोदय, खंडवा एवं हरसूद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कार्यालय कलेक्टर जिला खंडवा की ओर प्रेषित।
- 4- पुलिस अधीक्षक, जिला खंडवा (म.प्र.) की ओर समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
- 5- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा/पुनासा/हरसूद जिला खंडवा सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- उप संचालक (अभियोजन), कार्यालय जिला अभियोजन खंडवा को सूचनार्थ।
- 7- अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, खंडवा को सूचनार्थ।
- 8- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ।
- 9- प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय, खंडवा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 10- प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खंडवा म.प्र.
- 11- जे.एस.ए. खंडवा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करे।


(ठाकूर प्रसाद मालवीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला खंडवा (म.प्र.)